—:: सूचना ::—

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत बंधपत्र चिकित्सकों की अनिवार्य सेवा की पदस्थापना हेतु, बाण्ड मेनेजमेंट सिस्टम एम0पी0आनलाईन के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्ष 2018 एवं पूर्व वर्षो में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण किये गये चिकित्सकों के पंजीयन की प्रक्रिया चालू है। **इस राउन्ड की मेरिट सूची दिनांक 24 जून 2018 तक के पंजीयन के आधार पर तैयार की जावेगी।** बाण्ड मेनेजमेंट सिस्टम हेतु निम्नानुसार टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है :-

क्रं.	विवरण	तिथि
1	प्रोविजनल मेरिट सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की तिथि	23 जून से 24 जून 2018
2	अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन	26 जून 2018
3	च्वाईस फिलिंग	26 जून से 30 जून 2018
4	पदस्थापना आवंटन का प्रकाशन	02 जुलाई 2018

काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अधिक जानकारी एम.पी.ऑन-लाईन के बाण्ड मेनेजमेंट पोर्टल bms.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

सतपुडा-भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश

क्रमॉक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/733 भोपाल, दिनांक 10/05/2018

सूचना

-:: बंधपत्र की अनिवार्य सेवा पदस्थापना हेतु दिशा-निर्देश ::-

बंधपत्र के अनुक्रम में अनिवार्य सेवा की पदस्थापना हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से बॉण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। बॉण्ड मैनेजमेंट सिस्टम अन्तर्गत बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना जिसमें संस्था/जिला आबंटन, कार्य पर उपस्थिति, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं कार्य पूर्णता (एन.ओ.सी) प्रमाण पत्र जारी करना सम्मिलित होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया सतत् जारी रहेगी। ऑनलाईन प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश क्रमांक 666 दिनांक 03.05.2018 को जारी किये गये हैं, जो विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2012 को प्रवेशित एवं वर्ष 2018 को स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले बंधपत्र चिकित्सकों की ऑनलाइन पदस्थापना प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में लेख है कि प्रवेश बैंच 2011 एवं इसके पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले तथा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु निम्न जानकारी ई-मेल (gazatted@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

1. चिकित्सक का नाम..
2. जन्म तिथि...
3. Enrollment No..

आदेशानुसार

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

सतपुडा-भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश

क्रमॉक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 666 भोपाल, दिनांक 03/05/2018

-:: बंधपत्र की अनिवार्य सेवा पदस्थापना हेतु दिशा-निर्देश ::-

बंधपत्र के अनुक्रम में अनिवार्य सेवा की पदस्थापना हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से बॉण्ड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। बॉण्ड मैनेजमेंट सिस्टम अन्तर्गत बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना जिसमें संस्था/जिला आबंटन, कार्य पर उपस्थिति, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं कार्य पूर्णता (एन.ओ.सी) प्रमाण पत्र जारी करना सम्मिलित होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया सतत् जारी रहेगी। ऑनलाईन प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार होंगे -

1. बंधपत्र के अनुक्रम में अनिवार्य सेवा हेतु उपलब्ध समस्त चिकित्सकों का पंजीयन से लेकर कार्य पूर्णता (एन.ओ.सी.) प्रमाण पत्र जारी करने तक की समूचित व्यवस्था एम.पी.ऑन लाईन द्वारा विकसित पोर्टल बॉण्ड मेनेजमेंट सिस्टम (BMS) के माध्यम से संचालित किया जावेगा। जिसमें संस्था/ जिला आबंटन, कार्य पर उपस्थिति, मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं पूर्णता (एन.ओ.सी.) प्रमाण पत्र जारी करना सम्मिलित होगा।
2. वर्तमान बैच के अतिरिक्त डिटेन बैच अथवा पूर्व वर्षो के बैच के चिकित्सकों द्वारा समय सीमा में अनिवार्य सेवा में उपस्थिति को प्रोत्साहन करने हेतु उपरोक्त व्यवस्था आवश्यक है। चिकित्सकों की वरीयता वर्तमान बैच के चिकित्सकों के उपरांत निर्धारित की जावेगी। अर्थात बैच जितना पुराना होगा, वरीयता क्रम के अन्त में होगा।
3. बंधपत्र के अनुक्रम में अनिवार्य सेवा के तहत् सामान्यतः जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, जिला मुख्यालय के ट्रामा सेन्टरों एवं विभागीय आवश्यक्तानुसार पदस्थ चिकित्सक आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादित करेंगे, ताकि इन चिकित्सकों को चिकित्सकीय कार्य दक्षता में वृद्धि हो एवं विभिन्न कठिन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक चिकित्सकीय कार्य सम्पादित करने का अनुभव प्राप्त हो।
4. समस्त पदस्थानाऐं मेरिट के आधार पर पारदर्शी व्यवस्था से की जावेंगी। सामान्य प्रकरणों में पदस्थापना परिवर्तित नहीं की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में स्वास्थ्य आयुक्त के अनुमोदन उपरांत निम्न प्रकरणों में शिथिलता दी जा सकेगी, जैसे -

(अ) यदि चिकित्सक दिव्यांग हो ।

(ब) पति-पत्नि का प्रकरण एक ही जिले में किये जाना जो लोक हित में हो।

(स) सिंगल मदर-महिला चिकित्सक जो विधवा या तलाकशुदा हो।

उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2018 से लागू होगी। पूर्व वर्षो में कोर्स पूर्ण करने वाले समस्त बंधपत्र चिकित्सक जिन्होनें अब तक अनिवार्य सेवा के अन्तर्गत निर्धारित एक वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं की हो, पर भी यह व्यवस्था लागू होगी।

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा आदेशित।

(धनराजू एस) 03/05/2018
संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

क्रमॉक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/18/ 667   भोपाल, दिनांक 03 /05/2018

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल ।
4. निज-सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. रजिस्ट्रार, म.प्र.आयुर्विज्ञान परिषद, भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
11. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
12. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की और विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।

03/5/2018

संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.